<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : सुश्री अंकिता सिंघल, आर.जे.एस

<u>प्रकरण संख्या : 405 / 19 (2733 / 2017)</u>

<u>(NCV No 3728/19)</u>

राजस्थान सरकार

ब ना म

महेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र मनोहरसिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी मं.नं 6, चित्रगुप्त कॉलोनी करतारपुरा फाटक के पास पीएस ज्योतिनगर जयपुर

.....अभियुक्त

<u>अपराध अन्तर्गत धारा : 498–ए, 406 भा0दं0सं.</u>

उपस्थितिः–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, वास्ते सरकार।
2. श्री रामगोपाल शर्मा, अभियुक्त की ओर से।

<u>::निर्णय::</u> **दिनांक 05 दिसम्बर, 2019**

हस्तगत प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश की पालना में न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम–17, जयपुर महानगर से अंतरित होकर, इस न्यायालय में दि. 16.09.2019 को प्राप्त हुआ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादिया द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पुलिस थाना महिला दक्षिण जयपुर में दि. 17.06.16 को इस आशय की पेश की गई कि दिनांक 21.01.2005 को उनकी शादी महेन्द्र सिंह शेखावत के साथ हुई थी। शादी में उनके माता–पिता द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार सामान दिया गया था। शादी के कुछ समय बाद ही उन्हें उनके ससुराल वालो द्वारा शादी में कम दहेज देने तथा नकद रूपये और अपने पहीर से लाने का दबाव दिया जाने लगा और उनके पति, सास, ससुर देवर द्वारा उसको शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा। दिसम्बर 2005

में उसके एक बेटी होने पर उनके ससुराल वालो ने यह कहकर ताना देने लगे कि पहले तो इसका खर्चा उठा रहे थे अब एक और हो गई इसका खर्चा क्या तेरा बाप उठाएगा और उससे अपने पीहर से 5 लाख रूप्ए लाने को कहा। उसकी बेटी के जन्म के समय और बाद में भी उन दोनो का खर्चा उसके घ ारवालो द्वारा ही उठाया गया। उसके साथ हमेशा मारपीट करने के बाद कुछ भी न बोलने व बताने की धमकी दी जाती रही। दि. 17.06.2016 को उसके पति, सास और देवर द्वारा मारपीट करके उसके कपडे रोड पर फेंक दिए गए और उससे गर्भ चैक करवाने के लिए कहा और कहा कि लडका होगा तब ही रखेंगे वरना अबोशन करवाऐंगे और उसे व उसकी बेटी के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया.....आदि

उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना महिला दक्षिण, जयपुर द्वारा मुकदमा संख्या 107/2016 अंतर्गत धारा 498–ए, 406, 323 भा.दं.स. में दर्ज कर, अनुसंधान प्रारंभ किया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त महेन्द्र के विरूद्ध धारा 498–ए, 406 भा.दं.सं. में आरोप पत्र पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया।

बहस चार्ज सुनी जाकर, अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 498–ए, 406 भारतीय दण्ड़ संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

तत्पश्चात् परिवादिया व अभियुक्त के मध्य लोक अदालत की भावना से धारा 406 भा.दं.सं. में राजीनामा पेश होने पर, उसे तस्दीक किया गया तथा अभियुक्त को अपराध धारा 406 भा.दं.सं. के आरोप से दि. 08.07.2019 को बरूवे दोषमुक्त घोषित किया गया। अब इस प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498ए भा.दं.सं. के आरोप का विचारण शेष है।

अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी0ड0 1 अनिता शेखावत, पी0ड0 2 सुमेरसिंह चौहान, पी0ड0 3 कौशल्या देवी को परीक्षित कराया गया। प्रकरण में परिवादिया व अन्य महत्वूपर्ण गवाहान के पक्षद्रोही घ ोषित होने एवं अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करने के कारण अन्य गवाहान को तलब किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, अतः साक्ष्य अभियोजन बंद की

गई तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 ता प्रदर्श पी–5 को प्रदर्शित करवाया गया।

अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लेखबद्ध किए गए तो साक्ष्य अभियोजन को गलत होना बताते हुए, स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए निम्न विचारणीय बिन्दु लंबित हैंः–

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.06.2005 को परिवादिया से विवाह के उपरांत समय समय पर मौजा करतारपुरा फाटक, जयपुर में परिवादिया अनिता शेखावत को उसके पति रहते हुए दहेज में 5 लाख रूपए की अवैध मांग की पूर्ति हेतु उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके साथ क्रूरता कारित कर आपराधिक न्यास भंग किया।?''

यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड़ का भागीदार है ?

उक्त विचारणीय बिन्दु पर सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिए हैं कि यद्यपि इस प्रकरण में परिवादिया व अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो चुका है जिससे यह तथ्य उजागर हुआ है कि परिवादिया के साथ दहेज की मांग की जाकर, दहेज के लिए समय–समय पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रूरता की गई। अतः अभियुक्त को उक्त धारा में दोषसिद्ध किया जावे।

जबकि दूसरी ओर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिए हैं कि, परिवादिया व अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा परिवादिया ने अपने बयानों में दहेज की मांग को लेकर किसी प्रकार की न तो मारपीट करने तथा न ही मांग करने का उल्लेख किया है। साथ ही अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर ऐसी कोई मौखिक साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिससे अभियुक्त के विरूद्ध अपराध युक्तियुक्त संदेह की सीमा से परे प्रमाणित होता हो। अतः अभियुक्त को उक्त धारा में दोषमुक्त किया जावे।

उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया जाकर सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

उक्त विचारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में तीन गवाहान को परीक्षित कराया। गवाह पी0ड0 1 स्वयं परिवादिया अनिता शेखावत ने न्यायालय में उपस्थित होकर मुख्य परीक्षण में सशपथ यह कथन किया है कि विवाह के पश्चात् उसके व उसके पति के मध्य वैचारिक मतभेद हो गये, जो दिन प्रतिदिन बढ़ते गये तथा उनके बीच मनमुटाव हो गया। उसके ससुराल वालो ने कभी दहेज के लिये शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने पर विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसके व उसके पति के मध्य राजीनामा हो चुका है।

गवाह पी0ड0 2 सुमेरसिंह चौहान जो कि परिवादिया के भाई हैं, उसने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि महेन्द्र ने उनकी बहन को कभी भी दहेज के लिये मारपीट कर, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया।

गवाह पी0ड0 3 कौशल्या देवी जो कि परिवादिया की मां है ने भी अपने बयानों में अभियाजन कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है।

इस प्रकार उक्त तीनो ही गवाहों द्वारा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करने पर विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर उक्त दोनो गवाहों को पक्षद्रोही घोषित किया गया, जिन्होंने सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में परिवादी पक्ष का अभियुक्त से राजीनामा होना स्वीकार किया है।

हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित करवाये गये गवाहों के बयानों के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने अभियुक्त द्वारा परिवादिया श्रीमती अनिता शेखावत को दहेज हेतु तंग व परेशान कर, उसके साथ मारपीट व क्रूरतापूर्ण व्यवहार बाबत् कोई कथन नहीं किया गया है, बल्कि स्वयं परिवादिया ने अपने मुख्य परीक्षण में उसके ससुराल वालो द्वारा कोई मारपीट नहीं कर उनके बीच में आपस में मनमुटाव होना

जाहिर करते हुए अभियोजन कहानी को कमजोर किया है।

इस प्रकार समस्त विवेचन के पश्चात् अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा धारा 498–ए भारतीय दण्ड़ संहिता को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः उक्त विवेचन एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त को धारा 498–ए भारतीय दण्ड़ संहिता के अन्तर्गत दोषमुक्त किये जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

फलतः अभियुक्त महेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र मनोहरसिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी मं.नं 6, चित्रगुप्त कॉलोनी करतारपुरा फाटक के पास पीएस ज्योतिनगर जयपुर को धारा 498–ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त को धारा 406 भारतीय दण्ड़ संहिता के आरोप से बरूवे राजीनामा दोषमुक्त किया जा चुका है।

अभियुक्त के पत्रावली पर उपलब्ध उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में माल वजह सबूत जब्त नहीं है।

अभियुक्त को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अपनी उपस्थिति बाबत् धारा 437–ए दं.प्र.सं. के तहत छः माह की अवधि के लिए 10,000–10,000 रूपये की जमानत एवं इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका पेश करें।

(अंकिता सिंघल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर जिला, जयपुर

निर्णय आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर जिला, जयपुर